फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा

भागु पुत्र जयराम उर्फ जेराम गुर्जर बनाम मांगु पुत्र भूरा गुर्जर वगैरहा

किस्म मुकदमा धारा 212 रा0काश्त0अ0 1955 नम्बर 111 सन 2018

नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.2018	प्रार्थी की और से उक्त प्रार्थना पत्र पेश हुआ। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम कुवांर, पटवार क्षैत्र मोटा का खेडा , तहसील करेडा जिला भीलवाडा कि आराजी नम्बर 168 रकबा 03 बीघा, प्रार्थी को दिनांक 05.06.1992 को आवंटित की गई जिसके नये नम्बर 732/168 रकबा 03 बीघा, भूमि कायम हुए है। जो कृषी आराजियात है राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया । अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम ग्राम कुवांर, पटवार क्षैत्र मोटा का खेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा कि आराजी नम्बर 168 रकबा 03 बीघा, प्रार्थी को दिनांक 05.06.1992 को आवंटित की गई जिसके नये नम्बर 732/168 रकबा 03 बीघा, भूमि कायम हुए है। से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक उक्त वर्णित आराजियात की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाई रखे। हुक्मचंद इन्तनाई रोजा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली देखने तामिल विपक्षीगण दिनांक 25.09.2018 को पेश हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	तारीख
13/9/18	पत्रावली आज अर्थी के अर्थ पत्र रिमाइंडर से तलब की गई। अर्थी एवं विपक्षी उपस्थित। अर्थी के विपक्षी ने प्रार्थना पत्र में आपसी सहमति से आगे नहीं चलाने का आवेदन पेश किया जो स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये जाते है। इस में जारी स्थगन आदेश दिनांक 3/7/18 को खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जाती है।	उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा 13/9/18

Scanned by CamScanner